प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. 195/**2023**............................दिनांक.......18/7/2023..........

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **अधि.(यथा संशोधित 2018)** .... धारायें..........**7**
(II) * अधिनियम.......... ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....1988............................ समय ....7pm....
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**......दिनांक....17.07.2023 समय 12.53 **ए.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **14.07.2023**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–17 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री भंवरकान्त सैनी
(ब) पिता/पति का नाम श्री रामबक्स सैनी
(स) जन्म तिथी/वर्ष 48 साल..
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – निवासी प्लाट नं. 17, 18, फ्लेट नं. 201, आधुनिक, हाईट्स शंकर विहार विस्तार, मुरलीपुरा, जयपुर,

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– आरोपी श्री अविकार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 59, प्रकाश नगर, करधनी, झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
....––––..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
...........................रिश्वती राशि ......50,000/– रूपये

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 50,000/–

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 14.07.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ ने मन् पुलिस निरीक्षक रजनी मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर वहां बैठे एक व्यक्ति नाम श्री भंवरकांत सैनी s/o श्री रामबक्स सैनी, निवासी प्लाट नं. 17, 18, फ्लेट नं. 201,

आधुनिक हाईट्स, शंकर विहार विस्तार, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान से परिचय करवाया एवं उनके द्वारा हस्तलिखित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री भंवरकांत सैनी व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को लेकर अपने कार्यालय कक्ष नं. 306 में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी श्री भंवरकान्त ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि– 'सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ चौकी जयपुर शहर जयपुर। विषय– मेरी नारायण वाटिका कॉलोनी रोजदा जयपुर मे लांच की गई आवासीय कालोनी में हल्का पटवारी श्री अविकार शर्मा द्वारा स्वयं व नायब तहसीलदार रवि गुप्ता गिरदार भगवान सिंह के लिए 100000 एक लाख रूपये की रिश्वत मांगने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रोजदा जयपुर में एक नारायण वाटिका के नाम से आवासीय कॉलोनी काटी गई है। इस संबंध में मैंने दिनांक 26.06.2023 को नायब तहसीलदार मुंडोता को एक प्रार्थना पत्र खसरा नं. 116 रकबा 8.04 हैक्टर पटवार हल्का रोजदा की पुनः सही नाप कर तकासमा किये जाने की के संबंध में पेश किया जिस पर हल्का पटवारी अविकार शर्मा को जांच के निर्देश दिए गए उक्त खसरा में काश्तकार द्वारा तकासमा करने पर मेरी आवासीय कालोनी को नुकसान नहीं पहुंचाने के एवज में हल्का पटवारी अविकार शर्मा अपने स्वयं के लिए तथा गिरदावर भगवान सिंह तथा नायब तहसीलदार रवि गुप्ता के लिए 100000 एक लाख रूपये की रिश्वत की बार–बार जरिए फोन व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहा है। मेरा कोई गैर–वाजिब काम नहीं है। मैं इस भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी पटवारी अविकार शर्मा, गिरदावर, नायब तहसीलदार से कोई रंजिश नहीं है रिपोर्ट करता हूं। कार्यवाही करें। प्रार्थी भंवरकांत सैनी पुत्र श्री रामबक्स सैनी (संयोजक नारायण वाटिका) R/O पर फ्लेट न. 201 आधुनिक प्लाट–ए 17, 18 हाईट्स शंकर विहार विस्तार मुरलीपुरा जयपुर ।'' इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जगदीश प्रसाद से पुनः नाम पता पूछा तो उसने पूर्व वाला अपना नाम पता बताया तथा परिवादी से मजिद दरियाफ्त व प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी में रखे हुये खाली डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी को चालू व बंद करने की विधि समझाई गई तथा श्री इन्द्र सिंह कानि व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। इसके पश्चात श्री इन्द्र सिंह कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्दकर परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी के साथ उपतहसील मुण्डोता तहसील आमरे जयपुर भिजवाकर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई जाने पर आरोपी श्री अविकार शर्मा वरिष्ठ पटवारी पटवार हल्का रोजदा द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत मांग करने व पचास हजार रूपये लेने के लिए सहमत होने के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसके पश्चात दिनांक 17.07.2023 को समय 08.00 ए.एम पर एसीबी स्टॉफ व परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी उपस्थित कार्यालय आये तथा पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रजत भार्गव व श्री विनोद मीणा उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री रजत भार्गव पुत्र श्री बनवारी लाल भार्गव हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य कर जोन द्वितीय संभागीय कर भवन, झालाना, जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री विनोद मीणा पुत्र श्री मोहनलाल मीणा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य कर जोन द्वितीय संभागीय कर भवन, झालाना, जयपुर होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी को संदिग्ध आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा उप तहसील अमरसर जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी भंवरकान्त ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/–रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान

को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राजेन्द्र सिंह कानि न 55 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि न 55 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री भंवरकान्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रजत भार्गव से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात परिवादी श्री भंवरकान्त की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में श्री राजेन्द्र सिंह कानि न 55 से रिश्वत राशि 50,000 रखवाये गये व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके पश्चात समय 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी, श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक मय एसीबी स्टॉफ व स्वतंत्र गवाह श्री विनोद मीणा एवं मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के एवं परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी के वाहन में परिवादी के साथ श्री इन्द्र सिंह कानि नं. 148, स्वतंत्र गवाह श्री रजत भार्गव एसीबी कार्यालय से कालवाड रोड नो दुकान, से कुछ दूरी पूर्व पहूँचकर वाहनो को साईड में खडा करवाकर परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी को फोन करवाया तो आरोपी ने परिवादी को मुरली पान भण्डार नौ दुकान के पास बुलाया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने समय 12.42 पीएम पर परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी को डिजिटल वॉइर्स रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड चालू कर आरोपी श्री अविकार शर्मा को रिश्वती राशि देने के लिए रवाना किया तथा श्री इन्द्र सिंह कानि. व श्री रजत भार्गव को परिवादी के पीछे पीछे रवाना किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता व स्वतंत्र गवाह श्री विनोद मीणा अपनी अपनी उपस्थिति का छुपाव हासिल करते हुऐ मुरली पान भण्डार, नौ दुकान, कालवाड रोड के आस–पास परिवादी के ईशारा के इन्तार में मुकिम हुऐ। कुछ समय पश्चात समय 12.53 पीएम पर परिवादी श्री भंवरकांत सैनी ने मुरली पान भण्डार के सामने, नौ दुकान, कालवाड रोड जयपुर पर अपनी कार में बैठे हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपनी गाडी से डीपर (लाईट ऑन–ऑफ) देकर ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी की गाडी आरजे 45 सीडी 4773 के पास पहुँची तथा परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी ने बताया कि मै अपनी कार से मुरली पान भण्डार के सामने, नौ दुकान, कालवाड रोड जयपुर पहुँचा, जहां पर कुछ समय बाद ही श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा आया व मेरी कार के आगे वाली ड्राईवर सीट के पास आकर बैठ गया, जहां पर उन्होने मेरे से अभी अभी अपने मांग के अनुशरण में 50000/– रूपये प्राप्त कर पहने हुए लोअर/पायजामा की बांयी जेब में रख लिये तथा आप सभी को देखने पर अपनी जेब से निकाल कर गाडी की आगे की सीट के पास हैंड ब्रेक पर फेंक दिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अविकार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 59, प्रकाश नगर, नौ दुकान, करधनी, झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का **रोजदा,** उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जयपुर होना बताया। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादी से **रिश्वत राशि** 50000/– रूपए मुरली पान भण्डार के सामने, नौ दुकान, कालवाड रोड जयपुर व्यस्त रोड पर लेन–देन हुआ, उक्त रोड काफी व्यस्त व भीड–भाड वाली है, इसलिए परिवादी के वाहन में आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी को मय जाप्ता बैठा कर नजदीक कार्यालय एसीपी झोटवाडा जयपुर पश्चिम में ले जाकर अग्रिम कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अविकार शर्मा को परिवादी के वाहन की पीछे की सीट में

मय स्टाफ के बैठाकर, एसीपी झोटवाडा कार्यालय पहुँचे। जहां पर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अविकार शर्मा को परिवादी श्री भंवरकांत सैनी से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा घबरा गया और बताया कि श्री भंवरकांत सैनी अनावश्यक रूप से मुझे दे रहे थे मेरे स्तर पर इनका कोई काम पेण्डिग नहीं है, इन्होंने दिनांक 26.06.2023 को कैम्प हरदत्तपुरा में एक प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र तकासमा से संबंधित है तथा उप तहसीलदार मुण्डोता ने मेरे नाम मार्क किया था। मैने इनको स्टे लेने के लिए बोला है। मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री अविकार शर्मा द्वारा रिश्वत राशि उप तहसीलदार श्री रवि प्रकाश गुप्ता व गिरदावर श्री भगवान सिंह को देने के बारे में बोल रहा है इस संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अविकार शर्मा से पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि उक्त राशि मैंने किसी को भी देने के लिए नहीं ली इन्होने ही राशि दी है, इनका कोई कार्य मेरे पास नहीं है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री भंवरकांत सैनी ने आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा की बातों का खंडन करते हुए कहा कि मैने गांव रोजदा में काश्तकार की कृषि भूमि में नारायण वाटिका नाम से एक आवासीय कॉलोनी काटी थी, जिसमें लगभग सभी भूखण्डो का बेचान हो चुका है। उक्त आवासीय कॉलोनी के पास में काश्तकार का परिवार निवास करता है जिनकी कृषि भूमि का तकासमा हो रहा है। काश्तकार मेरी आवासीय कॉलोनी में से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जिससे मेरे दो भूखण्ड उक्त रास्ते में आ रहे है जबकि काश्तकार का रास्ता दूसरी तरफ है। उक्त प्रकिया के संबंध में मैने कैम्प हरदत्तपुरा में दिनांक 26.06.2023 को उप तहसीलदार कार्यालय मुण्डोता तहसील आमेर जयपुर को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था कि मै खसरा संख्या 116 रकबा 8.04 हैक्टेयर पटवार हल्का रोजदा की भूमि में से 02 हैक्टेयर में आवासीय योजना दिनांक 09.05.1998 को सृजित करी थी, जिसमें मै बतौर संयोजक सिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. न. 3240/एल काश्तकार श्री मूल सिंह पुत्र श्री राम सिंह के द्वारा तत्कालीन समय में ही पूर्ण पट्टे जारी करवा चुके है। उसके पश्चात श्रीमान मूल सिंह पुत्र श्री राम सिंह ने अपने पोत्र श्री भंवर सिंह, प्रहलाद सिंह, श्री पर्वत सिंह के 1/3 व श्री शिवराज सिंह के नाम से 1/3 भूमि उपहार स्वरूप (गिफ्ट डीड) देकर नामान्तरण खुलवा दिया है। अब उक्त सभी पक्षकार अपनी सहमति से बंटवारा करवा रहे है। तकासमा में रास्ता नारायण वाटिका आवासीय योजना के प्लॉट के उपर से देकर तकासमा करवा रहे है। उक्त आवासीय योजना में से आगे कोई रास्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का इकरार या समझौता है। उप तहसीलदार द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र उसी दिनांक 26.06.2023 को पटवारी श्री अविकार पटवारी पटवार हल्का रोजदा को जांच करने के लिए मार्क किया गया था। श्री अविकार पटवारी पटवार हल्का रोजदा द्वारा मेरे उक्त प्लॉट पर रास्ता नहीं निकालने तथा रास्ता निकालने की प्रकिया पर स्टे लेने हेतु मुझे समय देने की एवज में मेरे से स्वयं के लिए व गिरदावर व उपतहसीलदार के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करने पर मैंने दिनांक 14.07.2023 को एसीबी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर इसी दिनांक को मांग सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का द्वारा 100000 की मांग की गयी तो मैंने अभी 50000 रूपए की व्यवस्था होना बताया जिस पर आरोपी अविकार शर्मा पटवारी द्वारा सहमती दी गयी। उक्त रिश्वत राशि 50000 रूपए सोमवार को देना तय हुआ था जिस पर आज दिनांक 17.07.2023 को आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा द्वारा मेरे से 50000 रूपए रिश्वत राशि प्राप्त किए है तथा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहने हुए पायजामा की बांयी साईड की जेब में रख लिए एवं मेरे द्वारा ईशारा करने पर आपके आने पर जेब से निकाल कर गाडी में हैंड ब्रेक के पास गिरा दिए। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री रजत भार्गव व विनोद मीणा के समक्ष परिवादी के वाहन की तलाशी ली तो वाहन की आगे की सीट के पास, हैंड ब्रेक के पास 500–500 नोट का एक बंडल मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री रजत भार्गव से उठवाया जाकर सुरक्षित रखवाया तथा परिवादी के वाहन को लॉक किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान् मय आरोपी श्री अविकार शर्मा को साथ लेकर एसीपी झोटवाडा के कार्यालय कक्ष में पहुँचे। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भंवरकांत

सैनी द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री अविकार शर्मा के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री अविकार शर्मा के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री रजत भार्गव के पास पूर्व में सुरक्षित रखी रिश्वती राशि 500–500 रूपए के भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के बंडल को गिनवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 सौ रूपये के 100 नोट कुल राशि 50000/– रूपए होना पायी गयी जिनका पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो उक्त 100 नोट के नम्बर हुबहू होना पाये गये। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50000/– रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा के लिए पायजामा की व्यवस्था की गयी व आरोपी के पहने हुए पायजामा को सम्मानजनक उतरवाया जाकर दूसरा पायजामा पहनाया गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ़ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री अविकार शर्मा की पहने हुए पायजामा की बांयी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। ज़िसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी की पहने हुए पायजामा को सुखाकर आगे की बांयी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान्, परिवादी व आरोपी को साथ लेकर परिवादी के वाहन आरजे 45 सीडी 4773 के पास पहुँचे। उक्त वाहन में रिश्वत राशि 50000/– बरामद हुए स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक है इसलिए वाहन की आगे की सीट के पास हैण्ड ब्रेक के पास वाले स्थान को रूई की चिंदी से रगडा गया तथा एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे उक्त रूई की चिंदी को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क C -1 व C-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर

करवाये गये तथा रूई की चिंदी को सुखाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए गए व सील चस्पा कर मार्क C अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री भंवरकांत सैनी व आरोपी श्री अविकार शर्मा के मध्य हुई लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड मे रिकॉर्ड है को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होने की पुष्टि होती है। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अविकार शर्मा को आवाज नमूना हेतु फर्द नमूना आवाज मूर्तिब की गई,जिस पर आरोपी श्री अविकार शर्मा ने लिखित में अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। उक्त आवाज नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अविकार शर्मा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 18.07.2023 को परिवादी श्री भंवरकान्त सैनी व स्वतंत्र गवाहान श्री रजत भार्गव व श्री विनोद मीणा की उपस्थिति में दिनांक 14.07.2023 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 17.07.2023 की मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देने के समय हुई वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री अविकार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 59, प्रकाश नगर, करधनी, झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री भंवरकांत सैनी द्वारा ग्राम रोजदा में सृजित नारायण वाटिका आवासीय कॉलोनी में 2 प्लॉट में से रास्ता नहीं निकालने तथा रास्ता निकालने की प्रकिया (तकासमा) पर स्टे लेने हेतु परिवादी को समय देने की एवज में दिनांक 14.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 100000 रूपये की मांग कर 50000 रूपए लेने की सहमति देना तथा दिनांक 17.07.2023 को अपनी मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि लेन–देन के समय रिश्वती राशि 50000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री अविकार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 59, प्रकाश नगर, करधनी, झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(रजनी)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती श्रीमती रजनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अविकार शर्मा पुत्र स्व.श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 195/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2372-75 दिनांक 18.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।